an>

Title: Regarding hike in excise duty on unbranded diesel.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आज सदन के संज्ञान में एक बहुत इंपोर्टेंट विषय लाना चाहता हूं। नोटिफिकेशन 24, 2014 की 2 दिसंबर को लायी गयी, जिसके तहत अनब्रैंडेड डीजल पर एक रूपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम सरकार ने किया। इसी तरह 12 नवंबर, 2014 को डेढ़ रूपए एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाये गए। आज अगर देश की बात करें तो अधिकतम हिस्सा बाढ़ से, साइक्लोन से या ड्रॉट से अफेक्टेड है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर अपील करता हूं कि इस तरह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की रीढ़ की हड्डी फिर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वहां ज्यादातर एग्रीकल्चर आज ट्यूबवेल्स के तहत, मोटर के तहत होता है और डीजल का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। एक ओर तो हम किसान को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करते हैं, वहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उस सब्सिडी में कटौती करते हैं, दूसरी ओर उसका रिलीफ अनेक महीनों बाद उस तक पहुँचाया जाता है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि इस गम्भीर मुद्दे पर सरकार दोबारा विचार करे। जो एक्साइड ड्यूटी अनब्रांडेड डीजल पर बढ़ायी गयी है, उसे वापस लेने का काम करे या किसी और तरह की सब्सिडी देकर हमारे किसानों को मजबूत करने का काम करे।